पत्रांक –भवन / बजट–78–(गृह विभाग)–01 / 2018–19........................ 2841 (अ)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक– 23/3/26

विषय– कारा विभाग की योजनाओं को कार्यान्वित किए जाने हेतु **वित्तीय वर्ष 2025–26** में कुल ₹ 86,23,751/- (**छियासी लाख तेईस हजार सात सौ इक्यावन** रूपये)मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश– स्वीकृत।

विभिन्न कार्यपालक अभियंताओं द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में कारा विभाग की योजनाओं को कार्यान्वित किए जाने हेतु निम्न विवरणीनुसार कुल ₹ 86,23,751/- (**छियासी लाख तेईस हजार सात सौ इक्यावन** रूपये) मात्र का व्यय की स्वीकृति **वित्तीय वर्ष 2025–26** में प्रदान की जाती है:–

क्रमांक	प्रमंडल का नाम	अधियाचना आईoडीo	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या / दिनांक	वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1.	भवन प्रमंडल, मोतिहारी	30486	केन्द्रीय कारा मोतिहारी में 198 क्षमता के 01 अदद बंदी कक्ष का निर्माण कार्य।	2865/ 29.03.22	₹ 57,84,562/- (संतावन लाख चौरासी हजार पॉच सौ बासठ रूपये)
2.	भवन प्रमंडल, किशनगंज	30346	construction of jail suppritendent residence building at divisional jail campus in district kishanganj	11024/ 21.12.23	₹ 16,17,931/- (सोलह लाख सत्रह हजार नौ सौ इकतीस रूपये)
3.	भवन प्रमंडल, मधुबनी	27010	Construction work of Superintendent officer's residence at sub Jail Benipatti in Distt Madhubani (for electric work)	11024/ 21.12.23	₹3,45,385/- (तीन लाख पैंतालीस हजार तीन सौ पचासी रूपये)
4.	भवन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	27203	राज्य के शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा मुजफ्फरपुर में 198 क्षमता के 01 अदद बंदी कक्ष का निर्माण कार्य।(for G.S.T.)	2865/ 29.03.22	₹ 8,75,873/- (आठ लाख पचहत्तर हजार आठ सौ तिहत्तर रूपये)
			कुल राशि		₹ 86,23,751/-

(छियासी लाख तेईस हजार सात सौ इक्यावन रूपये)

2. उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या–03 के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–उपमुख्यशीर्ष–60–अन्य भवन–लघुशीर्ष–051–निर्माण–उपशीर्ष–0105–केन्द्रीय / मंडल / उपकाराओं के भवन निर्माण (गृह कारा विभाग) **विपत्र कोड–03–4059600510105** के विषय शीर्ष–53–मुख्य निर्माण कार्य–0105.53.01 मुख्य निर्माण कार्य अंतर्गत उपबंधित राशि से **वित्तीय वर्ष 2025–26** में किया जाएगा।
3. इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता होंगे।
4. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार, से की जायेगी।
5. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
6. स्वीकृत राशि के विरूद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

23/3/26.
(राजेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।